



वार्षिक हिंदी ई-पत्रिका

द्वितीय अंक; जनवरी से दिसम्बर -2021

मरुधरा



कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी पखवाड़ा - 2021 के कार्यक्रमों की झलकियाँ





‘मरूधरा’ परिवार

संरक्षक- सुश्री अतूर्वा सिन्हा, महालेखाकार

परामर्शदाता — श्री संजीव कुमार सुराना, उप-महालेखाकार

प्रधान संपादक

श्री अरुण कुमार शर्मा, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

सह-संपादक

श्री अशोक कुमार यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री अभिराज सिंह, सहायक पर्यवेक्षक

श्री रमेश कुमार गुप्ता, वरि. लेखापरीक्षक

श्रीमती मीनाक्षी पाठक, वरि. लेखापरीक्षक

श्री अजित सिंह, क. अनुवादक

श्री शंकर लाल सीमावत, क. अनुवादक

टिप्पणी- संपादक मंडल को पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त रचनाकारों के विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकार स्वयं अपनी रचनाओं की मौलिकता के लिए उत्तरदायी हैं।

अनुक्रमिका

क्रम	रचना का नाम	लेखक	पृष्ठ
01	राजभाषा नियम 1976, क्षेत्रवार मानचित्र	संदर्भ (राजभाषा विभाग)	01
02	राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)	संदर्भ (राजभाषा विभाग)	02
03	माँ की यादें	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	04
04	जीवन.....साथी	श्रीमती लवली शर्मा	05
05	जन-लेखा समिति की प्रक्रिया	श्री सत्येन्द्र कौशिक	6-7
06	नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी - एक अनुभव	श्री कुलदीप सिंह शेखावत	8-10
07	गीत	श्री रवि शंकर विजय	11
08	राजकुमारी	श्री रामानन्द शर्मा	12-14
09	शुभाशीष	श्री अशोक कुमार वर्मा	15-16
10	भारतीय मिष्ठान जलेबी	श्री अरुण कुमार शर्मा	17-19
11	सेवा का सन्देश	श्री शंकर लाल सीमावत	20-22
12	डाकघर बचत बैंक	श्रीमती शिवपाली खंडेलवाल	23-24
13	पारस मणि	श्री सुरेश चन्द मित्तल	25-26
14	जिन्दगी कभी	श्री रोहित शर्मा	27
15	कार्यालय के हिंदी राजकाज की वार्षिक प्रतिवेदन (2020-21)	राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II)	28
16	कार्यालय की पत्रिका "मरूधरा" हेतु पाठकों के अभिमत	राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II)	29-31
17	हिंदी पखवाड़ा - 2021 में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता	राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II)	32-33
18	कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ	महालेखाकार कार्यालय	34-35
19	हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम	राजभाषा विभाग	36-37
20	कार्यालय उपयोग हेतु द्विभाषी शब्दावली संग्रह	राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II)	38

सम्पादकीय

कार्यालय महालेखाकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक हिंदी ई-पत्रिका “**मरुधरा**” का द्वितीय अंक (जनवरी से दिसम्बर-2021) सभी विद्वान पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि संपादक मण्डल के लिए एक अनुपम एवं असीम प्रसन्नता का विषय है।

प्रस्तुत अंक में हमारा प्रयास रहा है कि यह (ई-पत्रिका) हमारे कार्यालय की कार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, विभिन्न गति-विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करे, हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के साथ-साथ सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करके राजभाषा के विकास में सहायक बने। यह हमारा दृढ़-विश्वास है कि विभिन्न आलेख, कवितायें, हिन्दी पखवाड़ा की गतिविधियों, लेखापरीक्षा कार्य में सहायक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री तथा राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रंग-बिरंगे आकर्षक छायाचित्रों के संकलन को पाठकों का प्रेम एवं सहयोग प्राप्त होगा। पत्रिका में समाहित सभी रचनाओं में सृजनात्मकता, सकारात्मकता तथा नवीनता को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है। हमारा विनम्र विश्वास है की “मरुधरा” के प्रकाशन से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति समस्त कार्मिकों में निश्चित ही प्रेरणा और उत्साह का संचार होगा।

संपादन मंडल “**मरुधरा**” पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता है एवं समस्त रचनाकारों एवं पाठकों से आग्रह करता है कि आप हिन्दी में कार्य करने के अपने प्रयासों में वृद्धि करें और हिन्दी के कार्यकलापों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। इसके साथ ही, पाठकवृन्द से अनुरोध करता है कि वे पत्रिका की समीक्षा कर अपने बहुमूल्य सुझाव एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करावें जिससे हम आगामी अंक को और उपयोगी एवं रूचिकर बना सकें।


(संपादक मण्डल)



म रू ध रा

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है



1

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य हैं
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य

2



म रू ध रा

राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

❖ राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--
 - a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;
 - b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

❖ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

- a. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;
- b. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि



मरूधरा

भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

- c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;
- d. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

- e. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

- i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;
- ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे:- संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञापत्र (परमिट), निविदा सूचनाएँ और निविदा फार्म



मरू धरा



माँ की यादें


मुझे मालुम था, तुम मर नहीं सकती
तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी
वो झूठ था, वो तुम कब थे
कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था
मेरी आँखे

तुम्हारे मंजराँ में कैद है अब तक
में जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ वो --- वही है
जो तुम्हारी नेकनामी की दुनिया थी
कहीं कुछ भी नहीं बदला
तुम्हारे हाथ मेरी उँगलियों में साँस लेते है
में लिखने के लिए जब भी कलम-कागज उठाता हूँ
तुम्हे बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ
बदन मे मेरे जितना भी लहू है
वो तुम्हारे अगल-बगल में साथ बहता है
मेरी आवाज मे छिपकर
तुम्हारा जहन रहता है
मेरी बीमारियों मे तुम
मेरी लाचारियों में तुम
तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है
वो झूठा है तुम्हारी कब्र में, मैं दफन हूँ
तुम मुझमें जिन्दा हो।

सुनील कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक



मरुधरा



जीवन साथी



न जाना कभी, न पहले देखा कभी
फिर भी त्याग कर अपना भरा-पूरा परिवार।
छोड़ तुम्हारे परिवार को अपनाती हूँ मैं-----
अपनी आज़ादी, अपनी गली, घर-----
अपनी पहचान भी--- को भूलकर
तुम्हारे घर आ जाती हूँ मैं----
कभी महिनें तो कभी साल गुजर जाते हैं यूँ ही
भाई-बहिन, माता-पिता, को देखे बिना, तब
सबको तुम्ही में देखकर, चुप हो जाती हूँ मैं----
कभी नाजों से पाला था मुझे माता-पिता ने
हर धूप, हर दुःख से बचाया था मुझे-----
आज पत्नी बनकर तुम्हारी, हर जिम्मेदारी निभाती हूँ
मैं हर चीज भुलाकर, तन-मन सब तुम्हें
सौंप कर तुम्हारे लिये तो वहाँ आती हूँ मैं-----
बदले में न पैसा, न गहने,
माँगती हूँ मैं-----
बस तुमसे थोड़ा प्यार, सम्मान
और अपने लिए---- दो पल-----
का समय ही तो माँगती हूँ मैं-----
क्योंकि कोई और नहीं
तुम्हारी पत्नी हूँ मैं-----

लवली शर्मा, अतिथि रचनाकार



मरूधरा

जन लेखा समिति की प्रक्रिया



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है। उसकी शक्तियाँ एवं कार्य संविधान में तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में उल्लेखित हैं, जिनके अंतर्गत संघ/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधि में देय प्राप्ति एवं सम्पूर्ण व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। उक्त लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई गंभीर अनियमितताओं/वसूली से सम्बंधित अनुच्छेदों के आधार पर प्रतिवर्ष नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 151 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल इन प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष उपस्थापित करवाता है। संविधान के अनुच्छेद 118 एवं 208 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की राज्य विधानमण्डल द्वारा नामित समिति “जन लेखा समिति (पीएसी)” द्वारा जाँच की जाती है। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच राजकीय उपक्रम समिति (COPU) द्वारा की जाती है। स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति द्वारा की जाती है।

जन लेखा समिति का गठन

राजस्थान विधानसभा के सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अधिकतम पंद्रह सदस्य, सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्वाचित कर नियुक्त किये जाते हैं अथवा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है। समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती है। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी समय इस पदावधि को छः माह तक बढ़ा सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत करने पर उसकी प्रति समितियों के प्रत्येक सदस्यों को उपलब्ध करवायी जाती है। जन-लेखा समिति लेखों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन में उपस्थापित किये जाने से पूर्व भी उन पर विचार कर सकती है। लेकिन उन लेखों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन में प्रस्तुत होने से पूर्व समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिसम्बर-1996 के अनुसार सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं पर



म रू ध रा

व्याख्यात्मक नोट्स, प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा से संवीक्षा करवाकर सम्बंधित विभाग द्वारा जन लेखा समिति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

जन लेखा तथा लोक उपक्रम समितियों की बैठकों में लेखों तथा प्रतिवेदनों पर विचार किया जाता है तथा साक्ष्यों की जाँच की जाती है। कतिपय लेखापरीक्षा अनुच्छेद जन-लेखा समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं विस्तृत चर्चा हेतु चयनित किये जाते हैं। उक्त बैठकों में भाग लेने के लिए महालेखाकार को आमंत्रित किया जाता है। समिति उसके समक्ष विचाराधीन प्रश्न पर साक्ष्य के लिए संबंधित विभाग के सचिव भी उपस्थित रहते हैं। समिति की प्रत्येक बैठक को कार्यवाही का विवरण जन-लेखा समिति के सचिव द्वारा रखा जाता है। विभाग के प्रत्युत्तर के परीक्षण एवं चर्चा के दौरान लिए गए साक्ष्य के आधार पर जन लेखा समिति लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अपनी अनुशंसा एक प्रतिवेदन (जन लेखा समिति का प्रतिवेदन) के रूप में समिति का प्रत्येक प्रतिवेदन समिति की बैठक में विचारार्थ लिया जाता है। तथा उस प्रतिवेदन पर निर्णय, मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होता है। समिति के प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी सम्मिलित नहीं की जाती है। समिति की ओर से सभापति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर उसे विधानसभा के समक्ष उपस्थापित करवाते हैं।

अनुवर्ती कार्यवाही एवं जन लेखा समिति का क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेदों पर चर्चा के पश्चात् जन-लेखा समिति द्वारा उस पर अनुशंसाएं जारी की जाती हैं जिसे अनुशंसा प्रतिवेदन रिकमेंडेशन रिपोर्ट-(आर-आर) कहते हैं। उक्त अनुशंसाओं पर सरकार एवं सम्बंधित विभाग द्वारा तत्परता से सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके प्रस्तुतीकरण की समय सीमा छः माह होती है तथा यह एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) ऑन आर-आर कहलाती है।

महालेखाकार, लेखापरीक्षा जन-लेखा समिति की अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर गहरी निगरानी रखता है। यदि किसी प्रकरण में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अनुचित मानी जाती है तो महालेखाकार, लेखापरीक्षा के लिए प्रकरण को सरकार के समक्ष रखने पर पश्चातवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी करने का विकल्प खुला रहता है। समिति भी “एक्शन टेकन नोट्स” पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण करती है तथा, यदि किसी बिंदु पर कार्यवाही अपर्याप्त है तो मौखिक साक्ष्य हेतु विभाग के सचिव को आमंत्रित करते हैं।

उक्त प्रक्रिया के पश्चात् समिति प्रतिवेदन की सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर अनुशंसा का अन्तिमीकरण एक प्रतिवेदन “क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन (एटीआर) जारी करती है। इस प्रतिवेदन में समिति शासन द्वारा क्रियान्विति न की गई सिफारिशों पर अग्रतर कार्यवाही करने की सिफारिश भी कर सकती है। यह प्रतिवेदन भी विधानमंडल में रखा जाता है। समिति इसमें शामिल अग्रतर सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण करती है।

सत्येन्द्र कौशिक, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी



मरुधरा

नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी - एक अनुभव



राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना बेशक चुनौतीपूर्ण है लेकिन पूर्णकालिक नौकरी के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित होना एक अलग ही प्रकार की चुनौती है। इस परीक्षा में मुख्य रूप से दो प्रकार के अभ्यर्थी शामिल होते हैं- एक, पूर्णकालिक अध्ययन करने वाले और दूसरे, पूर्णकालिक नौकरी के साथ तैयारी करने वाले। प्रथम दृष्टि में नौकरीपेशा अभ्यर्थी अपनी नौकरी को सफलता में एक बाधा मानते हैं क्योंकि पूर्णकालिक

तैयारी करने वाले अभ्यर्थी पूरा समय परीक्षा को दे पाता है जबकि प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक की नौकरी के बाद नौकरीपेशा अभ्यर्थी के पास विशाल पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए समय बहुत ही सीमित होता है।

नौकरीपेशा के लिये समय का दुर्लभ होना और इस परीक्षा में सफलता के कम प्रतिशत को देखते हुए पूर्णकालिक नौकरी के साथ सफलता दुर्गम प्रतीत होती है लेकिन एक ओर कामकाजी पेशेवर अभ्यर्थियों का अच्छी संख्या में सफलता प्राप्त करना व दूसरी ओर बेहतरीन सुविधाओं के साथ बिना तनाव पूरा समय तैयारी में लगाने वालों में भी सफलता दर कम होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सफलता अध्ययन के घंटों से नहीं बल्कि इसकी कुशलता से निर्धारित होती है। नौकरी के साथ परीक्षा में सफलता के लिए समय की प्रचुरता की अपेक्षा समय प्रबंधन के साथ किया गया योजनाबद्ध एवं विवेकशील परिश्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समय प्रबंधन में दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं - पाठ्यक्रम तैयार करने के दीर्घकालिक व दैनिक लक्ष्यों का निर्माण करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु दिन के 24 घंटों को निश्चित दिनचर्या में बांटना ताकि समय का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। योजना में तैयारी के सभी पक्षों जैसे पाठ्यक्रम पढ़ना, पुनरावृत्ति, लेखन अभ्यास आदि के मध्य संतुलन हो। दिनचर्या पर्याप्त रूप से लचीली हो ताकि कुछ समय योजनानुरूप व्यतीत नहीं होने पर भी लक्ष्य से अधिक विचलन न हो। दिनचर्या में कुछ समय स्वस्थ मनोरंजन, दोस्तों के साथ गपशप, घूमने-फिरने, खेलकूद या स्वरूचि के किसी कार्य (साक्षात्कार के लिए हॉबी विकसित करने में भी सहायक) को करने के लिए अवश्य दें।

चयनात्मक व विवेकशील अध्ययन से तात्पर्य अपनी अध्ययन शैली को परीक्षा की दृष्टि से अधिकतम उत्पादक बनाना है। पाठ्यक्रम के विभिन्न खण्डों के लिए समय का आवंटन उनके



मरूधरा

महत्व के अनुसार करें। किसी खंड का महत्व का निर्धारण कुछ पक्षों के आधार पर कर सकते हैं - उस खंड का अंक प्रभार कितना है, उस खंड पर आपकी पकड़ कितनी है और उस खंड में मेहनत करने से कितने अंक बढ़ाये जा सकते हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सन्दर्भ में देखें तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाले विषयों यथा भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा भाषा वाले विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी आदि में ज्यादा परिश्रम कर प्रतिस्पर्धियों से निर्णायक बढ़त हासिल की जा सकती है। सन्दर्भ पुस्तकों की संख्या कम से कम रखने का प्रयास करें। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन्टरनेट आदि माध्यमों का उपयोग सीमित मात्रा में करें।

नोट्स बनाना पाठ्यक्रम कई बार पढ़ लेने के बाद भी विस्मरण की चिंता और तनाव से बचने का एकमात्र उपाय है। नोट्स इतने लम्बे न हों कि उन्हें बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। नोट्स अत्यंत संक्षिप्त व सटीक होने चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम के विभिन्न खण्डों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस रूप में तैयार रखा जाये कि उन्हें दोहराते ही सम्बंधित सभी प्रमुख विचार व तथ्य याद आ जाएँ ताकि आत्मविश्वास बना रहे और परीक्षा से एक दो दिन पहले पाठ्यक्रम दोहराने के लिए अनेक किताबों की आवश्यकता न पड़े। नोट्स बनाना जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी है क्योंकि उन्हें संक्षिप्त तथा अद्यतन रखना अत्यधिक समय व परिश्रम की मांग करता है। किन्तु यह परिश्रम कितना महत्वपूर्ण निवेश है यह परीक्षा समय में अभ्यर्थी खुद अनुभव कर पाएंगे।

प्रारंभिक परीक्षा

- पाठ्यक्रम के प्रमुख खंडों- इतिहास, कला व संस्कृति, स्वतंत्रता आन्दोलन, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांख्यिकीय व मानसिक योग्यता तथा समसामयिक मुद्दों को प्राथमिकता
- वृहद् तथ्यात्मक तथा अवधारणात्मक तैयारी
- मानक पुस्तकों विशेषकर एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा बोर्ड का अध्ययन
- पुराने प्रश्नपत्रों का विश्लेषण

मुख्य परीक्षा

- पाठ्यक्रम के खण्डों का महत्व के अनुसार समय प्रबंधन तथा तैयार किये गये नोट्स का दोहराव
- प्रश्न की मांग को समझना और उसके अनुरूप आदर्श उत्तर लिखने का प्रयास
- परीक्षक के पास अभ्यर्थी का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरपुस्तिका ही होती है अतः उसे सुन्दर लेख, मानचित्र, फ्लोचार्ट, डायग्राम शामिल करते हुये आकर्षक बनाना
- पुराने प्रश्न पत्रों और मोक टेस्ट से लेखन अभ्यास

साक्षात्कार

- मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद तैयारी प्रारंभ
- स्वयं की पृष्ठभूमि के विषयों- हॉबी, नौकरी, गृह नगर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि आदि से सम्बंधित आधारभूत जानकारी और इन पर संभावित प्रश्नों की तैयारी
- समसामयिक और विवादास्पद मुद्दों के पक्ष विपक्ष पर विचार
- दोस्तों से समूह चर्चा
- मोक इंटरव्यू



मरुधरा

स्वप्रेरणा और सकारात्मक सोच इस परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि लम्बा व बहुचरणीय परीक्षा चक्र अभ्यर्थी से बहुत अधिक मानसिक मजबूती की मांग करता है। एक से दो वर्ष के समय तथा विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवार अवसाद और तनाव के कई दौर से गुजरता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रेरणा स्वयं बनें। अपनी क्षमताओं को पहचान करना तथा समय समय पर स्वयं का ईमानदारी से मूल्यांकन करना आवश्यक है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करने और उनको प्राप्त करने पर स्वयं को पुरुस्कृत करने से मन को प्रफुल्लित रख सकते हैं। भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करना असफलता की निरर्थक चिंता से मुक्ति दिलाता है। नकारात्मक लोगों व विचारों से दूर रहें।

नौकरी को बाधा नहीं बल्कि सहायक कारक के रूप में देखें। नौकरी न केवल तैयारी के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है वरन परीक्षा के परिणाम पर पूर्णतया निर्भर अभ्यर्थियों की तुलना में मानसिक तनाव और रोजगार असुरक्षा को भी दूर करता है। नौकरी के दौरान प्राप्त शासकीय सूचनाएं तथा कार्यकाल में सीखा गया नोटिंग-ड्राफ्टिंग कौशल तो परीक्षा के लिखित चरणों में बहुत सहायक सिद्ध होता ही है साथ में कार्यानुभव से होने वाला व्यक्तित्व विकास साक्षात्कार में अतिरिक्त अंक दिलवाने में भी मदद करता है। समय के दुर्लभ होने का भाव और समय प्रबंधन का कौशल भी नौकरी में आने के बाद ही बेहतर विकसित होता है।

एक ऐसी दिनचर्या विकसित करें कि शासकीय और निजी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो ताकि तैयारी के लिए अधिक मानसिक शान्ति और समय उपलब्ध रहे। कार्यालय, निजी जीवन और अध्ययन के बीच यथासंभव संतुलन बना के रखें। अवकाश के दिनों का अध्ययन के लिए भरपूर उपयोग करें। तैयारी के बारे में अधिक चर्चा करने से बचना और चुपचाप मेहनत करते रहना परिणाम के दबाव से काफी हद तक मुक्ति दिलवा सकता है। शुरुआती प्रयास में असफलता को अवसर के रूप में लेकर पर्सिंविअरेंस (Perseverance) से अपनी तैयारी को और पुख्ता करें। परीक्षा के विभिन्न चरणों की तैयारी से ज्ञानार्जन और व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया का आनंद लें तथा सफलता को अनिवार्य न मानकर एक 'सुखद आश्चर्य' की तरह लें। और अंत में असफलता को भी पूरी गरिमा से स्वीकार करें क्योंकि किसी परीक्षा मात्र में उत्तीर्ण हो जाना ही जीवन नहीं है।

कुलदीप सिंह शेखावत, वरि. लेखापरीक्षक



मरुधरा

गीत



महाप्रलय तो होगी ही
खूब लुटाया प्यार धरा ने, माँ सहृदय तो होगी ही ।
पर गणिकों की है भविष्यवाणी, सच साबित तो होगी ही॥
महाप्रलय तो होगी ही ॥

खत्म हुआ है धर्म धरा से, सर्वत्र अधर्म फैला हुआ
शुभ रजत माँ का आँचल, अब देखो मैला हुआ
भू तल में प्लेटे खिसक रही, महाप्रलय तो होगी ही ।
राजनीति की आड़ में, कितना बढ़ गया भ्रष्टाचार
शिष्टाचार तो कम हुआ, बढ़ गया अब दुराचार
रोक सके ना हम इसको, महाप्रलय तो होगी ही ।
प्रकृति की अनुपम छटा में भी लगने लगे अब दाग है
संकुचित हुई इंसानी फितरत, हर दिल में अब आग है
अति हो गई अब तो यारों, महाप्रलय तो होगी ही ।
बढ़ती जनसँख्या घटते वन, जरूरत ज्यादा छोटा मन,
प्रकृति पर अधिकार जता कर, धरा का करे अनुचित दोहन,
फटते बादल कर रहे इशारा, महाप्रलय तो होगी ही ।
सबको पता है खुदा के घर देर है अंधेर नहीं
बोओगे अगर फूल आक के, मिले कभी फिर बेर नहीं
बोझ बढ़ा पापों का फिर तो महाप्रलय तो होगी ही ।

रवि शंकर विजय, वरि. लेखापरीक्षक



मरुधरा

राजकुमारी



यह कहानी किसी महलों में रहने वाली राजकुमारी की नहीं, बल्कि मेरी माँ की है। उसका नाम तो राजकुमारी था लेकिन वह कभी भी एक राजकुमारी जैसी जिन्दगी नहीं जी सकी। वह छोटे से गाँव से आई एक बहुत ही साधारण, मेहनती और धार्मिक महिला थी। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण, वह सब की लाइली थी। उसकी शादी एक छोटे और संपन्न परिवार में हुई। जैसे हर लड़की के मन में अपनी शादी को लेकर कुछ इच्छाएँ, कुछ उम्मीदें होती हैं,

वैसे ही उसके मन में भी अपने नये घर और नये परिवार के लोगों के लिए भी कुछ उम्मीदें और इच्छाएँ थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। ससुराल में पूरे घर की जिम्मेदारी के अलावा छुआ-छूत जैसी पुरानी रिवाज भी विद्यमान थी। सास - ससुर हमेशा ताने मार कर बात किया करते थे तथा नन्द कभी भी भाभी नहीं बोला करती थी। पति का किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं था। शादी के कुछ ही समय बाद उनके घर एक बेटा हुआ। घर में बिलकुल खुशी का माहौल नहीं था क्योंकि एक लड़की जो हुई थी। जब बेटा सवा महीने की हुआ, तो कुछ झूठे आरोप लगाकर मेरी माँ को घर से निकाल दिया गया। मायके जाकर दुःखी और उदास मन से बेटा की परवरिश करने लगी और उम्मीद करती रही कि शायद ससुराल वाले उसे वापस ले जायें क्योंकि शादी के बाद एक महिला का असली घर उसका ससुराल ही तो होता है। डेढ़ साल के बाद फिर समझौता हुआ और वह ससुराल चली गयी। फिर उसके दूसरी बेटा हुआ तथा इसके कुछ समय पश्चात मेरी दादी का देहांत हो गया। इन सब के उपरान्त भी घर का माहौल नहीं बदल सका तथा सब कुछ वैसा ही रहा जो पहले था। जब उसके तीसरी बेटा हुआ, तब वह खुद बहुत ज्यादा रोई क्योंकि तीसरी संतान भी एक बेटा ही हुआ, बेटा नहीं। वर्तमान में हमारा समाज लड़कों की चाहना अधिक रखता है। तीन बेटियों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, तब जाकर घर का वातावरण कुछ हद तक बदला। सभी लोग बहुत खुश थे। बेटे का बहुत ही धूमधाम से नामकरण हुआ। बेटे का नाम नवीन रखा गया। देखते ही देखते बेटा तीन साल का हो गया और फिर एक दिन अचानक दुर्घटना हुई। वह अपनी बहनों के साथ छत पर खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वह तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर गिर गया। उसे देख कर मानो जैसे सबकी सांसे थम सी गई हों। ऊपर से गिरने के कारण उसके शरीर का सीधा भाग बेकार हो गया। वह एक महीने तक बोल भी नहीं सका। अचानक से माँ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वह भगवान पर बहुत भरोसा करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा फिर से बोलेगा। थोड़े समय बाद नवीन बोलने लगा किन्तु उसका शरीर अब पहले की तरह काम



मरुधरा

नहीं करता था। उस समय से माँ की जिन्दगी का कठिन दौर शुरू हो गया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन उसके बेटे के चोट नहीं लगती या वह गिरता नहीं था। जब भी उसके चोट लगती उसका दोषी उसकी माँ को ही समझा जाता था। इस बहाने उसको (माँ को) बहुत कुछ सुनाया जाता था क्योंकि वह इकलौता बेटा जो था। माँता-पिता को उसे घर से कहीं दूर भेजने में भी डर लगता था। घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं था जो मेरी माँ के दुःख को समझ सके। जब वह अठारह साल का हुआ तो एक दिन उसके घुटने में दर्द हुआ। डाक्टर को दिखाया, उन्होंने कैंसर होना बता दिया और कहा की इसका पैर काटना पड़ेगा। डाक्टर की बात सुनकर पापा वही गिर गये। कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला, माँ का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ लोगो ने यह सुझाव दिया कि इसे चेन्नई ले जाओ। माँता-पिता पूरे छह महीने अपनी चारों बेटियों को अकेले छोड़कर पहली बार किसी अनजान शहर में रह रहे थे, जिसकी भाषा अलग, खाना-पीना अलग, लोग अलग लेकिन बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अपने बेटे को हर रोज नई-नई परेशानियों से तड़पते हुए देखना बहुत मुश्किल समय था। लेकिन छह महीनों बाद उनका बेटा ठीक होकर घर आ गया। अंत में डाक्टरों ने उसके पैर का ऑपरेशन करके यह बोल दिया की इसे कैंसर नहीं है। थोड़े समय तक सब कुछ ठीक रहा। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी। बेटे ने बी.टेक की पढाई पूरी कर ली। बेटे की पढाई पूरी होते ही, जैसे की सब माँ बाप सपना देखते हैं कि लड़के की अच्छी नौकरी लग जाये तो समय से शादी हो जाये, मेरे माता-पिता ने भी यही सपना देखा। वह नौकरी की तैयारी करने लगा। उधर माँ अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता पक्का करने जा रही थी, तब उसने बोला - माँ मेरी गर्दन पर एक छोटी गांठ हो गई है। जब बेटी की गोद भराई थी, फिर भी माँ को ज्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि बेटे की गांठ की चिंता में पड़ गई थी। सभी डाक्टरों को दिखाया किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और कहा। फिर वही भाग दौड़ की परेशानी शुरू हो गई। पापा बहुत दूर-दूर गये तथा बहुत भाग दौड़ भी की। उसका इलाज कराने पापा बहुत दूर-दूर तक गये लेकिन उसकी गांठ ठीक नहीं हो सकी। कुछ डाक्टरों ने बोल दिया की आप का बेटा कुछ महीनों का ही बचा है। लेकिन पापा को विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने माँ को भी नहीं बताया, नहीं तो माँ सुन कर पहले ही मर जाती। हमारे घर में शुरू से ही बहुत पूजा होती थी। सबका भगवान पर अटूट विश्वास था की सब-कुछ ठीक हो जायेगा। बेटी की भी शादी हो गई लेकिन कोई खुशी नहीं थी। यह तो बस मजबूरी थी, करनी है क्योंकि शादी पहले तय हो चुकी थी। मेरी माँ चाहे किसी भी हॉस्पिटल में दिखने को ले जाती लेकिन अपनी पूजा नहीं छोड़ती थी। गांठ धीरे-धीरे बहुत बड़ी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। माँ अपने बेटे की तकलीफ और दर्द को देखकर बहुत रोती थी। भाई न तो करवट ले सकता था, न बैठ सकता था और न ही स्नान कर सकता था। माँ एक - एक निवाला मातारानी से प्रार्थना



मरुधरा

करके खिलाती थी। उसे सात बार हनुमान चालीसा सुनाती। उसे बहुत काम करना पड़ता था। माँ ना तो दिन में और ना ही रात में ठीक से सो पाती थी, फिर भी अपने बेटे के काम से नहीं थकती थी। भगवान से हर पल यहीं उम्मीद किया करती थी की बस बेटा ठीक हो जाये। हर माँ अपनी संतान की सेवा करती है लेकिन मैंने ऐसी माँ नहीं देखी जो इतनी परेशानी और बड़ी बीमारी में अपने बेटे को हर पल भगवान का नाम सुनाये और उसे भगवन का नाम लेने को कहे। किसी भी माता-पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुःख नहीं हो सकता जब उनका बच्चा इतने असहनीय दर्द से गुजर रहा हो और चाह कर भी उसका एक भी दुःख कम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा भाई बहुत मजबूत था। हालाँकि, जिन्दगी ने उसे इतने दुःख दिए की वह भी अब टूट चुका था। हर बात पर उसे रोना आ जाता था। ना जाने कब से उसने उगता सूरज नहीं देखा था। उसकी जिन्दगी एक कमरे में बंद रह गई थी। हर संभव प्रयास तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास के बाद भी, एक दिन उस कुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। एक माँ का लाइला और अपने पिता का सहारा चार बहनों का अकेला भाई, अपनी जिन्दगी की जंग हार गया। मेरी माँ ने अपनी जिन्दगी मे कभी सुख नहीं देखा। आज जब भी वह दूसरो के आँगन मे नाती-पोतों को खेलते हुए देखती है तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाती है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है कि वह इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती। आज भी उसे अपने ईश्वर पर विश्वास है। वह सिर्फ एक बात बोलती है, जो कुछ हुआ सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं।

रामानन्द शर्मा, अतिथि रचनाकार

- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)}। परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3)
- संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120}



मरुधरा

शुभाशीष



“नमस्ते अंकल...” पीछे से आवाज आई रणजीत पीछे मुड़ा तो देखा कि चार साल की बच्ची दीवार से सटकर खड़ी थी और टकटकी लगाये मुस्कुरा रही थी। रणजीत ने प्यार से बच्ची की तरफ हाथ हिलाया, बच्ची मारे खुशी के उछल पड़ी और तब हाथ हिलाती रही जब तक पास ही के नुक्कड़ से रणजीत मुड़ नहीं जाता है। ये रणजीत और उसकी पहली मुलाकात थी। कुछ ऐसा ही वात्सल्य होता है बच्चों का एक वर्दी पहने फौजी के लिए। अभी चार महीने

पहले ही तो उसकी बेटा का जन्म हुआ है। 15 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया है ताकि घर पहुँच कर पहली बार अपनी बेटा का चेहरा देख सकें, बूढ़े माँ - बाप तथा अपनी पत्नी से मिल सकें। अक्सर यहाँ गाँव में रणजीत, सरपंच के पास आया करता था कुछ जरूरी कागजी कार्यवाही के लिए इसी बहाने इन नन्हें भगवानों से भी मिलना हो जाया करता था।

जब रणजीत सरपंच के पास जाया करता था तो बाजार से कुछ चॉकलेट ले लिया करता था जिनको उन सब बच्चों में बाँट दिया करता था। चॉकलेट पाकर बच्चे इस प्रकार मारे खुशी के उछल पड़ते जैसे संसार की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों। रणजीत भी उन बच्चों में अपनों को ढूँढ करता। चंद रोज ही बीते थे कि खबर मिलती है कि उसकी छुट्टी की अर्जी रद्द कर दी गई थी और दो दिन बाद ही किसी अन्यत्र जगह के लिए प्रस्थान करना था। मन बड़ी दुविधा में था। जहाँ अभी कुछ देर पहले तक रणजीत इस इन्तजार में था कि उसकी छुट्टी की अर्जी स्वीकृत हो जाये तो घर जाकर अपनी बच्ची को साक्षात् देख सकें मगर अब ख्याल आ रहा था कि यहाँ से जाने से पहले एक बार उस चार साल की बच्ची से मिल सकें जिसका नाम तक न मालूम था। अजीब संयोग बना, रणजीत को उसी रोजमर्रा की कागजी कार्यवाही से सरपंच के पास जाने का आदेश हुआ। रास्ते में पड़ने वाले बाजार से उसने कुछ चाकलेट खरीदी और फिर रास्ते में बच्चों को चाकलेट देते वक्त नजरे सिर्फ उस चार साल की बच्ची को ढूँढ रही थी। बच्चों से पूछने की कोशिश भी की मगर उसका तो नाम तक मालूम नहीं था। कागजी कार्यवाही से निपटकर रणजीत फिर से उस बच्ची से मिलने चल दिया। रणजीत जैसे ही घर के सामने पहुँचता है तो देखता है कि छोटे से चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए वो बच्ची, दरवाजे के हथके को पकडे खड़ी थी। रणजीत को देख एक हाथ हवा में हिला दिया और तुतलाई सी आवाज़ में “नमस्ते” सुनाई देता है। रणजीत अपने पंजो के बल बैठकर बच्ची को चॉकलेट देने के लिए दिखाता है तो बच्ची दौड़कर उस चॉकलेट को झपट लेती है। एक अप्रत्याशित सी खुशी दोनों के चेहरों पर बिखर जाती है। जिज्ञासा अब उसके नाम को लेकर थी तो पहला सवाल भी ये ही था, सामने से जवाब आता है “मुस्कान”। वक्त ज्यादा नहीं था तो रणजीत ने प्यार से बच्ची के बालों में हाथ घुमाया और फिर अपने गन्तव्य की ओर चल दिया। बच्ची की एक आखिरी छवि जो रणजीत ने अपनी आँखों में कैद की थी, आँखे बंद करके उसकी पुष्टि कर



मरुधरा

लेना चाह रहा था। गली के नुक्कड़ पर पहुँच कर पीछे मुड़ कर देखा तो बच्ची अभी भी चॉकलेट खाने में व्यस्त थी। बस एक हाथ आधा हवा में उठाया, जैसे मानो देवी रूप में शुभाशीष दे रही है। अगली सुबह प्रस्थान की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, यहाँ सभी साथियों से विदाई लेने का वक्त आ गया था। एक दूसरे से गले मिलकर फिर से मिलने के वादे किये जा रहे थे। कुछ साथी पीछे छुट रहे थे तो कुछ साथ जा रहे थे। रणजीत इस सफ़र को यादगार बनाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ एक ही वाहन में बैठना चाह रहा था। मगर ख्याल आता है कि कल की बची हुई कुछ चॉकलेट अभी भी उसके पास रखी हुई थी। अपने बैग से चाकलेट निकालकर रणजीत अपने साथी को देने चला गया ताकि अगली बार वह जब सरपंच के पास जाये तो मुस्कान तक पहुँचा दे। चाकलेट देने में हुए इस विलम्ब के कारण रणजीत को अब दूसरे वाहन में बैठना पड़ेगा। काफिला अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुका था। कई घण्टों के सफ़र के बाद काफिला एक सघन जंगल से गुजर रहा था। रणजीत पुरे सफ़र में शांत ही बैठा था। वह मुस्कान में अपनी बच्ची को खोज रहा था। कुछ ही पल में एक के बाद एक धमाकों से पूरा जंगल दहल उठता है। धुएँ के गुब्बार ने पूरे काफिले को अपने आगोश में ले लिया था। सबसे आगे की दो गाड़ियाँ इस धमाके में तहस-नहस हो चुकी थी। बस के शीशे से रणजीत ने गाड़ियों के परखच्चे हवा में उड़ते देखे। रणजीत जिस बस में बैठा था उससे आगे दो बसे और थी जिनके शीशे चूर-चूर हो गए थे। एक पल के लिए शरीर शून्य हो गया था और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि अब भी ठीक से सुनाई नहीं दे पा रहा था। कल्पना शून्य में तैरता हुआ रणजीत अब भी अपनी जगह बैठा हुआ था। धमाके से निकली रोशनी से उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा गया था। रणजीत बाहर आकर देखता है कि यह तो वो ही बस थी जिसमें उसके साथी बैठे हुए थे। मस्तिष्क में सैकड़ों निरुत्तरित प्रश्नों का एक हुजूम सा उमड़ पड़ा था। जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके साथ एक परिवार भी शहीद होता है। बहन की शादी करनी होती है, खेती में हुए नुकसान का कर्जा चुकाना पड़ता है, टूटी हुई छत की मरम्मत करवानी होती है, भाई की फीस भरनी पड़ती है, कर्ज की किस्तें चुकानी होती हैं। लेकिन उम्मीदे, सपने सब अश्रुधार के साथ बह जाते हैं। न जाने आज कितनी ही जिम्मेदारियों पर विराम लग चुका था। सत्य है कि शहादत अतुल्य सम्मान देती है मगर स्वजनों में रिक्तता छोड़ जाती है। कर्तव्य मार्ग पर सुख लाल वर्दी में पूर्ण निद्रा में लेटे अपने साथियों को देख रणजीत की आँख से आँसू बह निकले। विदाई के सारे दृश्य एक के बाद एक आँखों के सामने तैर रहे थे। अचानक से आवाज आती है - “अंकल उठो!” रणजीत हड़बड़ाहट में उठ खड़ा होता है और मुस्कान को ढूँढने की कोशिश करता है। मुस्कान तो नहीं थी वहाँ पर मगर शुभाशीष में उठा हाथ रणजीत अब अपने सर पर महसूस कर रहा था। मानों देवी माँ ने गली के नुक्कड़ पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ ऊपर उठाकर विदाई दी हो।

अशोक कुमार वर्मा, डी.ई.ओ.

भारतीय मिष्ठान जलेबी



मरुधरा

(जलेबी के क्या कहने?)

जलेबी हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जो कि स्वादिष्ट मिष्ठान के साथ-साथ एक औषधि भी है। दुनिया के 90 प्रतिशत लोग जलेबी का संस्कृत और अंग्रेजी नाम नहीं जानते? पर सुबह-सुबह जलेबी को नाश्ते में खाने के बेहद शौकीन होते हैं। ग्रामीण-क्षेत्रों में दूध-जलेबी का नाश्ता करते हैं, तो शहरों में दही जलेबी का नाश्ता करते हैं। जलेबी का भारतीय नाम जलवाल्लिका है तथा अंग्रेजी में जलेबी को Rounded Sweet, Funnel Cake, sweetmeat (स्वीटमीट) और सिरप फील्ड रिंग कहते हैं। संस्कृत में इसे कुण्डलिनि भी कहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में जिलबी तथा बंगाल में जिलपी कहते हैं। जलेबी दो शब्दों से मिलकर बना है। जल+एबी अर्थात यह शरीर में स्थिर जल के ऐब (दोष) दूर करती है। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि एवं उर्जा में वृद्धि कर स्वधिष्ठान चक्र जागृत करने में भी सहायक है। जलेबी को खाने से शरीर के सारे ऐब (दोष) जल जाते हैं। मानव शरीर में 70 फीसदी पानी होता है, इसलिए जलेबी खाने से हमारे शरीर में जलतत्व की पूर्ति होती है।



- **जलेबी के अनेक रूप** - जलेबी डेढ अन्टे, ढाई अन्टे और साढ़े तीन अन्टे की होती है। अंगूर दाना जलेबी, कुल्हड़ जलेबी आदि की बनावट गोल-गोल बनती है। जलेबी की बनावट शरीर में कुण्डलिनी चक्र की तरह होती है।
- **जलेबी के औषधिय गुण** - जलेबी अर्थात जल+एबी यह शरीर में जल के ऐब, जलोदर की तकलीफ मिटाती है। जलेबी को एक तरफ रोगनाशक औषधि भी बताया है। वही गर्म जलेबी से चर्म रोगों की बेहतरीन चिकित्सा भी होती है। वात-पित्त-कफ यानि त्रिदोष की शांति के लिए सुबह खाली पेट दही के साथ, वात विकार से बचने के लिए-दूध में मिलाकर और कफ से मुक्ति के लिए गर्म-गर्म चाशनी युक्त जलेबी खानी चाहिए।
- **रोग निवारक जलेबी** -
 - सिरदर्द माईग्रेन - इससे पीड़ित लोग सूर्योदय से पूर्व प्रातः खाली पेट 2 से 3 जलेबी चासनी में डूबोकर खाएं उसके बाद पानी ना पियें । इससे मानसिक विकार नष्ट होंगे ।
 - पीलिया रोग - इससे पीड़ित रोगियों के लिए यह चमत्कारी औषधि है, जिसको सुबह खाने से पांडुरोग दूर हो जाता है ।
 - त्वचा रोग - जिन लोगों के पैर की बिम्बाई फटने या त्वचा निकलने की परेशानी रहती है वे प्रातः 21 दिन लगातार जलेबी का सेवन करें ।
 - आयुर्वेदिक जडी बूटी जलेबी - भावप्रकाश निघण्टु में उल्लेखित है - जो जंगल जलेबी खावें, वाको दुः ख संताप मिटावै। (जंगल जलेबी एक वृक्ष है) जलेबी खाने वालों को ब्रम्हाचर्य का विधिवत पालन करना चाहिए ।
- **जलेबी के अन्य फायदे** - जलन,कुठन में उलझे लोग यदि जानवरो को जलेबी खिलाये तो मन शांत होता है। क्योंकि मन में शांति है तो तन निरोगी होगा ।



मरुधरा

- **जलेबी का विभिन्न जलवा** - बंगाल में पनीर की, बिहार में आलू की, उत्तर प्रदेश में आम की, मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड -रीवा,- सतना में मावा की जलेबी खाने का भारी प्रचलन है। कहीं-कहीं चावल के आटे की और उड़द की दाल की जलेबी का प्रचलन है ।
- **अघोरी की तिजोरी** - मैदा, जल, मीठा, तेल और अग्नि इन 5 चीजों से निर्मित जलेबी में पंचतत्व का वास होता है। अघोरी सन्त आध्यात्मिक सिद्धि तथा कुण्डलिनी जागरण के लिए सुबह नित्य जलेबी खाने की सलाह देते हैं। महिलाएं अपने केशों से “जलेबी जूड़ा” भी बनाती हैं ।

➤ जलेबी की कहावतें

खाये जलेबी बने दयालु, तहि चीन्हे नर कोई ।

तत्पर हाल-निहालकरत हैं, रीझत हैं निज सोई ।

जलेबी खाने से दया, उदारता उत्पन्न होती है । पहचान बनती है। आत्मविश्वास आता है। रूठी तो बने काली कलूटी अर्थात् जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास अन्दर से टूट जाये उसको ठीक करने की कोई बूटी यानि औषधि आज तक नहीं बनी है । जो आदमी बार-बार बदलता है उनकी एक खूटीयानि ठिकाना नहीं होता। जिनकी किस्मत फूटी हो, ऐसे भाग्यहीन का भला सूफी संत भी नहीं कर सकते और यदि स्त्री रूठ जाये तो काली का भयंकर रूप धारण कर लेती है । अतः इन सब का इलाज जलेबी है ।

➤ बाबा कानीराम सिद्ध अवधूत लिखते हैं

बिनु देखे बिनु अर्स-पर्स बिनु, प्रातः जलेबी खाये जोई ।

तन-मन अन्तर्मन शुद्ध होवे, वर्ष में निर्धन रहे न कोई ।

एक संत ने जलेबी का नाता आदिकाल से बताया है-

पार लगाये चैरासी से, मत ढुके इत ओर ।

जलेबी का नियम से प्रातःकाल सेवन करे तो बार-बार के जन्म-मरण से मुक्ति मिलती है । जलेबी के अलावा अन्य मिठाई की और कभी देखें भी नहीं ।

➤ जलेबी के खाने से लाभ

एषा कुण्डलिनी नाम्ना पुष्टिकान्तिबलप्रदा ।*

धातुवृद्धिकरीवृष्या रूच्या चेन्द्रीयतर्पणी ॥*

अर्थात्-जलेबी कुण्डलिनी जागरण करने वाला, पुष्टि कान्ति तथा बल को देने वाली, धातुवर्धक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक एवं इन्द्रिय सुख और रसेन्द्रीय को तृप्त करने वाली होती है ।

- **जलेबी बनाने हेतु आवश्यक सामग्री** - मैदा 900 ग्राम, उड़द दाल 50 ग्राम पानी में गला कर पीस कर 500 ग्राम मैदा में 50 ग्राम दही मिलाकर दो दिन पूर्व खमीर हेतु घोल कर रखें शेष मैदा जलेबी बनाते समय खमीर में मिलाये शक्कर करीब 1 किलो 300-400 ML पानी में डालकर चाशनी बनायें। जलेबी को बहुत स्वादिष्ट बनाने के लिए चाशनी में एक चम्मच नीबू का रस और केशर मिला सकते हैं।

- **जलेबी का अविष्कार** - दुनिया में सर्व प्रथम जलेबी का अविष्कार किसने किया यह तो ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन उत्तर-भारत का यह सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। आज भारत की जलेबी अब अन्तर्राष्ट्रीय मिठाई है। प्राचीन समय के सुप्रसिद्ध हलवाई शिवदयाल विश्वनाथ हलवाई के अनुसार



मरुधरा

जलेबी मुख्यतः अरबी शब्द है। तुर्की मोहम्मद बिन हसन *''किताब-अल-तबिक''* एक अरबी किताब जलेबी का असली पुराना नाम *जलाबिया* लिखा है। 300 वर्ष पुरानी पुस्तकें *''भोजन कटुहला''* एवं संस्कृत में लिखी *''गुण्यगुणबोधिनी''* में भी जलेबी बनाने की विधि का वर्णन है। घुमंतू लेखक श्री शरतचंद्र पेंडारकर ने भी जलेबी का आदिकालीन भारतीय नाम कुण्डलिका बताया है।

अरुण कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

हम सब मिलकर दे सम्मान,
निज भाषा पर करें अभिमान ।
हिंदुस्तान के माथे की बिंदी,
जन-जन की आत्मा बने हिंदी ।
भारत के गांव की शान हैं हिंदी,
हिन्दुस्तान की शक्ति हिंदी ।
मेरे हिन्द की जान हिंदी,
हर दिन नया वाहन हिंदी ।



मरुधरा

सेवा का

सन्देश



विजय भाई और मीना बेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तीन दिन का अवकाश था। वे पेशे से चिकित्सक थे, इसलिए लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे। परंतु जब भी दो-तीन दिन का अवकाश मिलता, छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते हैं। आज उनका इंदौर-उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर प्रेम अंकुरित

हुआ, और बढ़ते-बढ़ते वृक्ष बन गया। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। दो साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे।

विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया, बैंक से लोन उधार लिया। मीना बेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और विजय भाई डाक्टर ऑफ़ मेडिसिन थे। इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला था। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे विजय भाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था। नई नई वस्तु है। खाने के शौकीन थे। इंदौर के सर्राफा बाजार और छप्पन दुकान पर मिलने वाली मिठाईयां नमकीन के बारे में भी सुना था, साथ ही महाकाल के दर्शन करने की इच्छा थी इसलिए उन्होंने इस बार इंदौर-उज्जैन की यात्रा करने का विचार किया था।

यात्रा पर रवाना हुए, आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। म.प्र. सीमा से चालीस किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्यप्रदेश में जाकर करने का विचार था। परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर से चार-पांच किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासु भाई ने वहां पर गाड़ी रोकी, दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर के आई। उसने पूछा क्या चाहिए, भाई ?

विजय भाई ने दो पैकेट वेफर्स के लिए, और कहा बेन दो कप चाय बना देना। थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर के गाड़ी में गए। मीना बेन और दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी।

दोनों कार से निकल कर के दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। विजय भाई ने फिर आवाज लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली - भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में दो मैले से कप ले करके वह गरमा गरम चाय लाई।



मरुधरा

मैले कप को देखकर विजय भाई एकदम से परेशान हो गए, और कुछ बोलना चाहते थे। परंतु मीना बेन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया।

चाय के कप उठाए। उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा कितने पैसे? महिला ने कहा - बीस रुपये। विजय भाई ने सौ का नोट दिया।

महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है। बीस रुपये छुट्टे ही दे दो। विजय भाई ने बीस रुपये का नोट दिया। महिला ने सौ का नोट वापस किया। विजय भाई ने कहा कि हमने तो वैफर्स के पैकेट भी लिए हैं !

महिला बोली यह पैसे उसी के हैं। चाय के पैसे नहीं लिए। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं। यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी ? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते। इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अभी बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं - वह शहर जा करके दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे।

विजय भाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गये। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि रूप में आकर के संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है।

उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहां हैं बताएं। महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे। बहुत दुबले पतले थे। वासु भाई ने जाकर उनका मस्तक संभाला। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे, और कांप रहे थे वासु भाई वापस गाड़ी में, गए दवाई का अपना बैग लेकर के आए। उनको दो-तीन टेबलेट निकालकर के दी, खिलाई। फिर कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा ।

मैं पीछे शहर में जा कर के और इंजेक्शन और इनके लिए बोतल ले आता हूं। मीना बेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने का कहा। गाड़ी लेकर के गए, आधे घंटे में शहर से बोतल, इंजेक्शन, ले कर के आए और साथ में दूध की थैलियां भी लेकर आये। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं ही बैठे रहे।

एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी।

दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की।

जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए, तब वह दोनों वहां से आगे बढ़े।

तीन दिन इंदौर उज्जैन में रहकर, जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने, और दूध की थैली लेकर के आए।

वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज लगाई, तो दोनों बाहर निकल कर उनको देख कर बहुत खुश हो गये। उन्होंने कहा कि आप की दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। विजय भाई ने बच्चे को खिलौने दिए। दूध के पैकेट दिए। फिर से चाय बनी,



मरुधरा

बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। विजय भाई ने अपना पता दिया। कहा, जब भी आओ जरूर मिले, और दोनों वहां से अपने शहर की ओर, लौट गये।

शहर पहुंचकर विजय भाई ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि, अब आगे से आप जो भी मरीज आयें, केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे। फीस मैं खुद लूंगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डाक्टरों ने सुना। उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ विजय भाई से मिलने आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब विजय भाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी उद्वेलित हो गया।

विजय ने कहा कि मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहला स्थान पर आता रहा। एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है, वह मुझसे आगे निकल गयी। तो मैं अब पीछे कैसे रहूँ? इसलिए मैं अतिथि सेवा में मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की और मैं यह कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें। गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने विजय भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर के चिकित्सकीय सेवा करूंगा।

शंकर लाल सीमावत, क. अनुवादक

- ❖ समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।- (जस्टिस) कृष्णस्वामी अय्यर
- ❖ जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।"- देशरत्न डॉ. राजेन्द्रप्रसाद
- ❖ मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता। - विनोबा भावे

डाकघर बचत बैंक



मरुधरा

सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF)



(क) खाता खुलवाने हेतु पात्र व्यक्ति

01. जो भारतीय वयस्क नागरिक हों

02. नाबालिग/अयोग्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक।

* एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में केवल एक PPF खाता खुलवाया जा सकता है

(ख) खाते में जमा करने सम्बन्धी नियम

एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि रु 500/- व अधिकतम राशि रु 150000/- है। जमा करने की अधिकतम सीमा रु.1.50 लाख है जिसमें स्वयं एवं नाबालिग (*minor account under guardian*) की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी। वित्तीय वर्ष में रु. 50/- के गुणक कितनी भी बार राशि जमा की जा सकती है। खाता नकद/चेक द्वारा खोला जा सकता है। जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। यदि किसी वित्तीय वर्ष में रु 500/- की न्यूनतम राशि को जमा नहीं किया जाता है, तो उक्त पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। बंद खातों पर ऋण / निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। खाते की परिपक्वता से पहले जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता न्यूनतम सदस्यता (अर्थात 500 रुपये) + रु 50/- प्रत्येक चूक वर्ष के लिए जमा कर खाता पुनः चालू किया जा सकता है। अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

(ग) ऋण प्रक्रिया

प्रारम्भिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण लिया जा सकता है। (अर्थात 2010-11 के दौरान खुले खाते के लिए वर्ष 2012-13 में ऋण लिया जा सकता है।) प्रारम्भिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ऋण लिया जा सकता है।

(घ) निकासी

खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर पांच वर्ष पूर्ण होने पर ग्राहक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार निकासी कर सकता है। निकासी पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा शेष राशि जो भी कम हो का 50% तक किया जा सकता है।



मरुधरा

(च) परिपक्वता अवधि

खाता 15 पूर्ण वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होगा। संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं अथवा आगे जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता राशि को बनाए रख सकता है जिस पर पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार निकासी ली जा सकती है। संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित विस्तार प्रपत्र जमा करके अपने खाते को आगे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। (परिपक्वता के एक वर्ष के भीतर)

जमा राशि के साथ विस्तारित खाते में, 5 वर्ष के ब्लॉक में परिपक्वता के समय बैलेंस क्रेडिट की अधिकतम सीमा- 60% तक प्रत्येक वित्त वर्ष में निकासी की सकती है।

(छ) खाताधारक की मृत्यु

खाताधारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर नामांकित अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को खाते की राशि प्रदान की जाएगी। इस हेतु नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को डाकघर के माध्यम से उचित प्रपत्र लेकर अपना दावा पेश करना होगा।

शिवपाली खंडेलवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी



मरुधरा

पारस मणि



अक्षयराज नाम का एक राजा अपने प्रदेश की प्रजा पर एकछत्र राज करता था। राजा की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि मैं संसार का सबसे धनाढ्य राजा बनूँ और मेरा राजकोष अशर्फियों, हीरे-मोती, सोने-चाँदी से पूर्णतया भरा हुआ हो। राजा को एक दिन पता चला कि उसके राज्य की सीमा में एक वृद्ध संत जिसकी आयु का पता नहीं है, नदी के किनारे रहता है तथा उसके पास पारस मणि है जो किसी भी लोहे को सोना बना देती है। राजा संत के पास गए तथा संत ने राजा से

आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा - महाराज जी! आपके पास एक पारस मणि है। आप एक साधु-सन्यासी हैं। आप उस का क्या करेंगे? हम राजा लोग हैं लोहे को सोना बनाकर खजाना भरेंगे। जितना बड़ा खजाना होगा, उतना ही बड़ा राजा भी होगा। संत ने वो पारस मणि राजा को दे दिया। रास्ते में राजा ने सोचा - कहीं ऐसा न हो कि संत के पास कंकड़ - पत्थरों को हीरे में बदलने वाली हीरक मणि भी हो। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ओर ही मजा होगा राजा वापिस संत के पास पहुंचा और संत के सामने अपना वापिस आने का कारण बताया। संत बोले - हाँ राजन! मणियां तो और भी कई हैं, परन्तु हम संत लोग एक बार में एक ही मणि देते हैं। यदि आपको हीरक मणि चाहिए तो पारस मणि को पूरी शक्ति से नदी में फेंक कर आओ। राजा गए और पारस मणि को नदी में फेंक कर वापस आये और बोले- लाओ महाराज! हीरक मणि दे दो। संत बोले - मेरे पास आओ राजन। राजा पास आए। महात्मा जी बोले- मेरे मुंह के आपका कान पास लाओ। राजा ने ऐसा ही किया। संत ने उनके कान में कहा 'आप राम नाम जपो'। राजा कुछ गुस्से में आए और बोले - इससे क्या होगा। यह जाप तो सोना और हीरे नहीं बना सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मेरी पारस मणि भी नदी में फिकवा दिया। संत बोले - मूर्ख राजा! इस सोने चाँदी, हीरे-मोतियों को चबायेगा क्या, आटे में पीस कर खायेगा क्या? या मरते समय अपने साथ ले जायेगा? राजन! किसी के कफ़न में आज तक जेब नहीं सिलाया गया। जो गया है खाली हाथ गया है। शमशान घाट पर पूरी हथेली खोलकर दिखाता है मानो पीछे रहने वाले लोगों को, सगे-संबंधियों को दिखाना चाह रहा हो, देख लो भई ! मेरे हाथ खाली है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा। संत ने राजा से पुनः कहा - मूर्ख राजा ! ये धन-दौलत किसी काम की नहीं बल्कि इस से अच्छे तो गोबर के उपले (कंडे) है जो तेरे शव को जला कर तुझे पञ्चतत्व में विलीन कर देंगे।

मैं मानता हूँ सोना, हीरा, मोती आदि धन राजा के कोष में कठिन समय के लिए होना चाहिए परन्तु ऐसी भी क्या भूख कि तू बीच रास्ते से पारस मणि मुझसे लेने के बावजूद वापिस आ गया कि कहीं



मरूधरा

हीरक मणि भी मिल जाए तो और अधिक हीरा मोती मेरे पास एकत्रित हो जायेंगे। मनुष्य में इतना असंतोष किस काम का ? फिर मैंने अब तेरे कान में राम नाम की जो अनमोल मणि फूँकी है, वह तेरा जीवन सफल बनाएगी। श्रीराम के नाम की माधुर्यता का मान कर तेरा कल्याण होगा।

अक्षयराज राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और धन-दौलत की प्रबल पिपासा को वहीं छोड़कर अपने महल में पहुंचा तथा वह राम नाम रूपी पारस मणि से अपने मानव जीवन को सार्थक करने में जुट गया। शासन की बागडोर अपने जेष्ठ पुत्र को सौंप दी। उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी।

एस सी मित्तल, अतिथि रचनाकार

हिंदी

लिखें. पढ़ें. बोलें. गर्व करें.

हिंदी है तो हैं हम
बिन हिंदी हम क्या हैं
हिंदी से बढ़ती देश की शान
इससे ही होगा हमारा समान
हिंदी दिवस की बधाई





मरूधरा



जिन्दगी कभी

जिन्दगी कभी बेजान सी लगती है
कभी सूरज किरण तो
कभी ढलती शाम सी लगती है।
कभी मेघा में भरे पानी सी ये जिन्दगी तो
कभी धरा सी लगती है।

कभी गगन में उड़ते परिन्दों सी ये जिन्दगी
कभी पिंजरे में बन्द किसी की जान सी लगती है।

कभी रंगों से भरी रंगोली ये जिन्दगी
कभी बेरंग जल-धारा सी लगती है।
कभी बागों की हरियाली सी ये जिन्दगी
कभी सूखे रेगिस्तान सी लगती है।

कभी सुगंधों से भरी ये जिन्दगी
कभी गंध रहित कस्तूरी सी लगती है
कभी लगातार चलती ये जिन्दगी
कभी रुकी, टूटी साँसों सी लगती है।
कभी मंजिल को पाकर खुश ये जिन्दगी
कभी अचानक टूटे अरमानों सी लगती है।

कभी खुले आसमाँ सी ये जिन्दगी
कभी गहरे अंधकूप सी लगती है।
कभी बच्चे के मुस्कान सी ये जिन्दगी
कभी बूढ़े परेशान इंसान सी लगती है।

रोहित शर्मा, अथिति रचनाकार



मरूधरा

हिंदी पखवाड़ा समारोह-2021 के लिए वर्ष 2020-21 में किए गए कार्य का विवरण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वर्ष कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर में लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो प्रगति की है उसका विवरण निम्न प्रकार है:-

- **राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) की अनुपालना:-** राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत कुल 642 दस्तावेज जारी किए गए। कोई भी दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में इस धारा की शत प्रतिशत अनुपालना हुई।
- **पत्राचार:-** राजभाषा नियम 5 के अन्तर्गत इस कार्यालय में कुल 10,760 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए। इसमें से 5,112 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था।
- **लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन:-** कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। सभी निरीक्षण प्रतिवेदन हिन्दी में जारी किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में कुल 277 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की गई।
- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति:-** तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने तथा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों पर विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया हुआ है। वर्ष 2020-21 में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकें व 04 हिन्दी संगोष्ठियां आयोजित की गई।
- **हिन्दी समारोह का आयोजन:-** सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता लाने तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति गत वर्ष भी दिनांक 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान अनेक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया।
- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति:-** वर्ष 2020-21 में समिति की दो अर्धवार्षिक बैठकों में लेखापरीक्षा कार्यालय से कार्यालय प्रमुख एवं प्रशासनिक प्रधान ने भाग लिया।
- **राजभाषा पत्रिका:-** वर्ष 2020-21 में एक वार्षिक पत्रिका "मरूधरा" का प्रकाशन किया गया।
- **यूनीकोड प्रशिक्षण:-** राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II) द्वारा कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से आवश्यकता के अनुसार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- **हिंदी प्रोत्साहन योजना:-** वर्ष 2020-21 के दौरान हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप राशि ₹ 13,000 (दो प्रथम एवं एक द्वितीय पुरस्कार के रूप में) प्रदान किये गए।

राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-II)



मरुधरा

कार्यालय की पत्रिका "मरुधरा" हेतु पाठकों के अभिमत

आपके कार्यालय के द्वारा प्रकाशित ई-पत्रिका हमें प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में सभी लेख, कविताएं, प्रेरक प्रसंग आदि पठनीय, रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका के सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्णित हैं। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय हैं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाओं में सृजनात्मकता, सकारात्मकता तथा नवीनता को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के प्रायः सभी वर्ग के कार्मिकों ने अपनी मौलिकता से पत्रिका को सुसज्जित किया है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखा परिक्षा अधिकारी (राजभाषा)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110002

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित वार्षिक हिन्दी ई-पत्रिका 'मरुधरा' का प्रथम अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में अंतर्निहित सभी रचनाएँ अत्यंत सुपाठ्य, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय हैं। ये सभी रचनाएँ अत्यंत रुचिकर तथा प्रासंगिक भी हैं। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई एवं इसकी प्रगति और अगले अंक के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं।

हिन्दी अधिकारी (राजभाषा)

भारतीय लेखा तथा लेखा- परीक्षा विभाग

महानिदेशक, लेखा- परीक्षा का कार्यालय,

केन्द्रीय, कोलकाता

आपको पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन पर बहुत-बहुत बधाई। पत्रिका की सभी रचनार्यें रोचक, ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय हैं। सुश्री अनिता सुराणा जी का लेख "टोंक रियासत के अनछुये पर्यटन स्थल", श्री सुरेन्द्र कुमार जी का गीत "आरती का दीप", सुश्री शिवपाली खंडेलवाल जी की कविता "अंगड़ाइयां", श्री कैलाश आडवाणी जी की कविता "पानी और बर्फ" एवं श्री शंकर लाल सीमावत जी का लेख "राजस्थान की अनुपम झलकियाँ" अत्यधिक अच्छे लगे। पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु पत्रिका परिवार को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (हिन्दी)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- दितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद



मरुधरा

पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख एवं कविताएँ रोचक एवं जानवर्धक हैं। विशेषकर सुश्री अतूर्वा सिन्हा, माननीय महालेखाकार का लेख 'मरुधरा के पंछी', श्रीमती शिवपाली खंडेलवाल, स.ले.प.अ. की कविता 'अगड़ाइयां' तथा श्री अशोक कुमार शर्मा, व.ले.प.अ. की कविता 'हम भारत के लोग' उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं। पत्रिका का मुख पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/हिन्दी
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणादायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं जानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका की साज-सज्जा एवं आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं सुरुचिपूर्ण, जानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। 'मरुधरा के पंछी', 'टोंक रियासत के अनछुए पर्यटन स्थल', 'सड़क सुरक्षा', 'खनिजों का संसार-मरुधरा राजस्थान-लेखा परीक्षा की नजर', 'भारतीय साहित्य एवं संस्कृति में नारी का स्थान', और 'राजस्थान प्रदेश की अनुपम झलकियाँ' आदि रचनाएं विशेष रूप से सराहनीय हैं। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र है।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
कार्यालय महारेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा,
प्लॉट नं. 05 सैक्टर 33-बी, दक्षिण मार्ग चण्डीगढ़-160 020

पत्रिका में समाहित सभी रचनायें सुरुचिपूर्ण, पठनीय एवं सराहनीय हैं। श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित लेख 'आप एकान्त में या अकेले-----आइये पता लगाते हैं', सुश्री अतूर्वा सिन्हा की 'मरुधरा के पंछी', श्री शंकर लाल सीमावत की 'राजस्थान प्रदेश की अनुपम झलकियाँ' तथा श्री एस.सी.मित्तल की 'जनक जी की दुविधा' उल्लेखनीय हैं। अन्य सभी रचनाएँ भी उत्कृष्ट हैं। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित प्रकाशन से जुड़े रचनाकारों एवं सम्पादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/राजभाषा
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई-400051



मरुधरा

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित ई-पत्रिका "मरुधरा" राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सहायक होते हुए कर्मचारियों को अभिव्यक्ति का मंच भी उपलब्ध करवा रही है। आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। इससे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों में निश्चित ही प्रेरणा और उत्साह का संचार होगा। पत्रिका "मरुधरा" की निरंतर प्रगति एवं सफलता के लिए पत्रिका समूह के संपादन एवं प्रकाशन मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/हिन्दी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड

पत्रिका की साज-सज्ज तथा सम्पूर्ण सामग्री उच्च कोटी की है। श्रीमती अतूर्वा सिन्हा, मालेखाकार का लेख 'मरुधरा के पंछी', श्री शंकर लाल सीमावत, कनिष्ठ अनुवादक का लेख 'राजस्थान प्रदेश की अनुपम झलकियाँ', डॉ. रानी दाधीच, अतिथि रचनाकार का लेख 'भारतीय साहित्य एवं संस्कृति में नारी का स्थान' तथा श्री अशोक वर्मा, डी.ई.ओ. का लेख 'लकीर' तथा उत्कृष्ट, रोचक, व अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। ई-पत्रिका 'मरुधरा' का यह अंक, राजभाषा हिन्दी की प्रगति की दिशा में अद्वितीय है। 'मरुधरा' की उत्तरोत्तर उन्नति हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

हिन्दी अधिकारी
कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति)
ए.जी.सी.आर. भवन, इंद्र प्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली- 110002

वक्ताओं की ताकत भाषा,
लेखक का अभिमान हैं भाषा,
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी,
मेरी प्यारी हिंदी भाषा।
जिसमें है मैंने ख्वाब बुने,
जिस से जुड़ी मेरी हर आशा,
जिससे मुझे पहचान मिली,
वो है मेरी हिंदी भाषा।



मरूधरा

हिन्दी पखवाड़ा - 2021 को आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता

हिंदी स्व - रचित काव्य पाठ प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	परिणाम
1.	श्री मनोज कुमार	एम. टी. एस	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर	प्रथम
2.	श्री कैलाश आडवानी	पर्यवेक्षक	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर	द्वितीय
3.	श्री हनुमान गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर	तृतीय

हिंदी में कम्प्यूटर पर यूनिकोड में कार्य प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	परिणाम
1.	श्री सन्तोष बुला	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	प्रथम
2.	श्री अमित सिंघल	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	द्वितीय
3.	श्री मोटा राम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	तृतीय

हिंदी लघु - कथा लेखन प्रतियोगिता



म रू ध रा

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	परिणाम
1.	श्रीमती शिवपाली खण्डेलवाल	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	प्रथम
2.	श्री रवि शंकर विजय	सहायक पर्यवेक्षक	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	द्वितीय
3.	श्रीमती रुचि गुप्ता	ऑडिट क्लर्क	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	तृतीय

हिंदी वाद - विवाद प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	परिणाम
1.	श्रीमती चौधरी सरोज हनुमान	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	प्रथम
2.	श्री अमित गोयल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	द्वितीय
3.	श्री अनन्य पंवार	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	तृतीय

हिंदी टिप्पण - प्रारूपण प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	परिणाम
1.	श्रीमती भावना शर्मा	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	प्रथम
2.	श्री अरुण खाण्डल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर	द्वितीय
3.	श्री भगवान दास	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	तृतीय

गणतंत्र तथा स्वतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी



मरूधरा



कोविड वैक्सीनेशन हेतु आयोजित कॅम्प के अवसर पर उपस्थित अधिकारी



मरूधरा





म रू ध रा

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%



म रू ध रा

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मेनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)
सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।



म रू ध रा

कार्यालय उपयोग हेतु द्विभाषी शब्दावली संग्रह

क्र.स.	अंग्रेजी शब्द	हिन्दी शब्द
1	Alliance	गठबंधन
2	Ancillary	सहायक, अनुषंगी
3	Austerity measure	मितव्ययिता उपाय
4	Blueprint	रूपरेखा
5	Breach of peace	शांति भंग
6	Buffer stock	सुरक्षित भंडार
7	Cultural agreement	सांस्कृतिक करार
8	Deficit budget	घाटे का बजट
9	Financial concurrence	वित्तीय सहमति
10	Forward-looking	दूरदर्शी
11	Holistic approach	समग्र दृष्टिकोण
12	Impartial judgement	निष्पक्ष निर्णय
13	Incognito	गुप्त
14	Indigenous stores	देशी सामान
15	Job creation	रोजगार सृजन
16	Lodging and boarding	आवास और भोजन
17	Mechanical defect	यांत्रिक दोष
18	Medical reimbursement	चिकित्सा प्रतिपूर्ती
19	Ostensible owner	दृश्यमान स्वामी
20	Repatriation of services	सेवाओं का संप्रत्यावर्तन



मरुधरा

सिटी पैलेस



चित्तौड़गढ़ किला

